न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 50/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/62

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री सुखलाल पुत्र श्री पुजाजी प्रजापत मैसर्स – सुनील किराणा स्टोर, मैन रोड, बस स्टैण्ड आंबापुरा, बांसवाडा
2. **Chandra Shekhar Katara (Partner) m/s- Kashtbhanjan Enterprise 42-42A AKVN, Meghnagar Distt-Jhabua (MP) 457779**
3. **Gaurav Kumar Khandelwal (Partner) m/s- Kashtbhanjan Enterprise 42-42A AKVN, Meghnagar Distt- Jhabua (MP)**
4. **Raman Kumar Pandey (Partner) m/s- Kashtbhanjan Enterprise 42-42A AKVN, Meghnagar Distt-Jhabua (MP) 457779**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 18.04.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक 13–09–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 07–02–2022 को 02.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु मैसर्स – सुनील किराणा स्टोर, मैन रोड, बस स्टैण्ड आंबापुरा, बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री सुखलाल पुत्र श्री पुजाजी प्रजापत उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स सुनील किराणा स्टोर, मैन रोड, बस स्टैण्ड आंबापुरा, बांसवाडा का निरीक्षण करने पर **Haldi Powder (Brand-Mysore)** के 20 पैक पैकेट प्रत्येक पैकेट 500 **gm** का आम जनता को खाद्य सामग्री विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Haldi Powder (Brand- Mysore)** के 04 पैक पैकेट वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 440 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Haldi Powder (Brand- Mysore)** के पैक पैकेट के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 16:23:15 IST
Reason: SelfAttested

एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवाड़ा का कोड क्रमांक **W-935** लिखा व नमूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतियां आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाड़ा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाड़ा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाड़ा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए./2022/60–61 दिनांक 25–02–2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 177 दिनांक 23–02–2022 अनुसार विक्रेता से खरीदे नमूना जांच हेतु क्रय किया **Haldi Powder (Brand-Mysore)** का नमूना कोड क्रमांक **W-935** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Haldi Powder (Brand-Mysore)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13–09–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 11.10.2022 को अप्रार्थी सं.1 स्वयं उपस्थित रहे तथा उनकी ओर से श्री चन्द्रेश मेहता अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 20–12–2022 को अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 की ओर से अभिभाषक श्री प्रभुलाल निनामा ने अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया।

दिनांक 04–04–2023 को अप्रार्थी 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। दिनांक 18.04.2023 को अप्रार्थीगणों के अभिभाषक ने अप्रार्थी सं. 2, अप्रार्थी सं. 3 तथा अप्रार्थी सं. 4 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाड़ा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए./2022/60–61 दिनांक 25–02–2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 177 दिनांक 23–02–2022 अनुसार विक्रेता से खरीदे नमूना जांच हेतु क्रय किया **Haldi Powder (Brand-Mysore)** का नमूना कोड क्रमांक **W-935** Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बाँसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:23:15 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड **Haldi Powder (Brand- Mysore)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री सुखलाल पुत्र श्री पुजाजी प्रजापत मैसर्स – सुनील किराणा स्टोर, मैन रोड, बस स्टैण्ड आंबापुरा, बांसवाडा, को रूपये 10000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र) तथा Chandra Shekhar Katara (Partner) m/s Kashtbhanjan Enterprise 42-42A AKVN, Meghnagar Distt- Jhabua (MP), Gaurav Kumar Khandelwal (Partner) m/s Kashtbhanjan Enterprise 42-42A AKVN, Meghnagar Distt- Jhabua (MP), Raman Kumar Pandey (Partner) m/s Kashtbhanjan Enterprise 42-42A AKVN, Meghnagar Distt- Jhabua (MP) को रूपये 20000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 16:23:15 IST
Reason: SelfAttested